न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 54 / 2015

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण–
राजस्थान सरकार जरिये श्री कंवराराम, प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर		श्रीमति कौशल्या देवी पत्नी श्री पुखराज जाति माहेश्वरी निवासी बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर (फर्म मालिक मैसर्स माजीसा इण्डस्ट्रीज रिको इण्डस्ट्रीज ऐरिया, बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सम्पतराज बोथरा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 05.02.2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 12.09.2015 को पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि पुलिस चैक पोस्ट गांधव पर बाड़मेर से गुजरात की तरफ जाते टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 एवं टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 को रूकवाकर चैक किया तो इनमे भारतीय खाद्य निगम मार्क अंकित राशन के गेंहू के कट्टे भरे होने पाये गये है। इन दोनो टर्बो ट्रकों मे भारी मात्रा मे भारतीय खाद्य निगम का मार्का लगे हुए राशन का गेंहू परिवहन करने बाबत वाहन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

चालाकों को वैध बिल, बिल्टी, लाईसेंस व परमिट के बारे मे पूछने पर नही होना बताया। इस पर उक्त टर्बो ट्रक चालकों द्वारा संज्ञेय अपराध करने के उद्देश्य से परिवहन करना प्रतीत होने से दोनो ट्रकों को पुलिस थाना गुड़ामालानी मे खड़ा किया गया है। उक्त सूचना के आधार पर जांच मे दोनो ट्रकों के वाहन चालकों द्वारा उक्त वाहनों मे गेंहू बाड़मेर स्थित श्री पुखराज पुत्र अचलदास माहेश्वरी के बाड़मेर स्थित गोदाम से भरना बताया। पुलिस थाना गुड़ामालानी से प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा श्री खेमाराम, प्रवर्तन निरीक्षक के साथ जांच हेतु दिनांक 14.09.2015 को मैसर्स माजीसा इण्डस्ट्रीज रीको इण्डस्ट्रीज एरिया बाड़मेर मौके पर पहुंच कर जांच की गई। फर्म का निरीक्षण करने पर फर्म के गोदाम मे जूटबारदाना भारतीय खाद्य निगम मार्का के प्रत्येक अनुमानित 50 किलोग्राम वजनी के कुल 210 गेंहू के कट्टे होना पाया। मौके पर उपस्थित फर्म ऑपरेटर श्री सोहनसिंह से उक्त एफसीआई मार्का के गेंहू के कट्टों के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया तथा उक्त गेंहू के कट्टों का वैध दस्तावेज वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत नही करना पाया। मौके पर फर्म मालिक तथा मैनेजर उक्त गेंहू के कट्टों के सम्बन्ध मे पूछताछ बाबत उपस्थित नही हुए। मौके पर फर्म के गोदाम मे एफसीआई मार्का के कुल 210 कट्टे जूटबारदाना के सम्बन्ध मे वैध दस्तावेज वास्ते जांच प्रस्तुत नही करना, उक्त गेंहू के कट्टों के अवैध भण्डारण करना तथा उक्त गेंहू का कालाबाजारी की सम्भावना को शुन्य करने हेतु राजहित मे कब्जे राज किया तथा मौके पर उक्त जूटबारदाना एफसीआई मार्का के 210 कट्टे जिनको ट्रक नम्बर आर जे 19 जीबी 7412 मे भरकर आशापूर्णा वेट ब्रीज एनएच 15 धर्मकांटे से तोल करवाने पर गाडी सहित गेंहू मय जूटबारदाना कुल वजन 173.30 क्विंटल तथा शुद्ध गेंहू मय जूटबारदाना 105.20 क्विंटल पाया। मौके पर ही श्री रामचन्द्र पुत्र श्री

कार्यालय जिला कलक्टर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

चैनाराम जाति जाट निवासी गांधीनगर बाड़मेर हाल मुख्य व्यवस्थापक उत्तर रेल्वे कर्मचारी सहकारी भण्डार लिमिटेड समदड़ी शाखा बाड़मेर के रूबरू 210 गेंहू के कट्टों को धर्मकांटे पर तुलवाकर उसे सुपुर्द किये जिसका सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान फर्म मालिक एवं मैनेजर जांच हेतु उपस्थित नही हुए। अतः मैसर्स माजिसा इण्डस्ट्रीज रिको इण्डस्ट्रीज एरिया बाड़मेर के गोदाम मे एफसीआई मार्का जूटबारदाना मे भरे हुए गेंहू 210 कट्टे कुल वजनी 105.20 क्विंटल का अवैध भण्डारित करना तथा उक्त गेंहू के वैध दस्तावेज वास्ते जांच प्रस्तुत नही करना एवं मौके पर फर्म मालिक व मैनेजर द्वारा उक्त गेंहू के कट्टों के सम्बन्ध मे जांच कार्य करवाने हेतु उपस्थित नही होना यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय उपराध है। अतः सीजशुदा 105.20 क्विंटल गेंहू मय जूटबारदाना को राजसात करने का आदेश फरमावें। इसके साथ ही बरामदशुदा गेंहू लम्बे समय तक भण्डारण से खराब होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए(।।) के तहत अन्तरीम निस्तारण के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा बरामद गेंहू लम्बे समय तक भण्डारण से खराब होने की संभावना को देखते हुए 105 क्विंटल 20 किलोग्राम गेंहूं मय जूट बारदाना का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि इस न्यायालय के आदेश के अध्यधीन रखे जाने हेतु जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को आदेशित किया गया। अप्रार्थी की ओर से भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे बरामद गेंहू को सुपुर्दगी पर दिये जाने एवं गेंहू की सेम्पलिंग सक्षम अधिकारी से करवाने का निवेदन किया गया जो आदेश दिनांक 24.02.2016 के द्वारा इस निष्कर्ष के साथ अस्वीकार कर किया गया कि मौके पर वक्त बरामदगी उक्त भारतीय खाद्य निगम मार्का के गेंहू के कट्टों के वैध

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही करना प्रथदृष्ट्या बरामद गेंहू कालाबाजारी हेतु भण्डारित किया जाना मानते हुए अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। इसके बावजूद भी समुचित स्थिति सुनवाई उपरांत ही निश्चित की जा सकती थी तथा बरामद गेंहू का अन्तरीम निस्तारण हेतु आदेश पारित किया जा चुका था।

3. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा समय–समय पर अपने गोदामों मे रखे गये गेंहू बाबत निलामी हेतु निविदाऐं जारी की जाती रही है तथा इसी क्रम मे एफ सी आई हनुमानगढ़ द्वारा की गई निलामी मे पोकरण स्थित फर्म मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज द्वारा गेंहू क्रय किये गये थे। मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज के नाम से एफ सी आई द्वारा बिल जारी किये एवं बिलों के साथ तलपटी भी जारी की गई। उक्त क्रयशुदा माल को ट्रकों द्वारा पोकरण भिजवाया गया जिनके गेट पास भी एफ सी आई द्वारा जारी किये गये है। लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज द्वारा क्रय किये गये गेहूं मैसर्स माजीसा इण्डस्ट्रीज बाडमेर को एफसीआई के गेंहू की बिक्री जरिये बिलों के की गई थी। मैसर्स माजीसा इण्डस्ट्रीज बाड़मेर द्वारा गेंहू की खरीद विक्रय एवं गेंहू को पिसकर आटा को विक्रय करने का कार्य करती है। इस हेतु माजीसा इण्डस्ट्रीज बाड़मेर ने विभिन्न समय मे बिलों के माध्यम से गेहूं को क्रय किया था। उक्त एफ सी आई का रिकार्ड पब्लिक दस्तावेज है जिसमे किसी भी प्रकार की कूटरचना की कोई गुंजाईश नही है। दिनांक 11.09.2015 को गांधव चैक पोस्ट पर ट्रक सं. जीजे 12 एयु 8666 मे 50 किलोग्राम वजन के कुल 440 कट्टे एवं ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 मे 50 किलोग्राम के कुल 440 कट्टे भरकर उन्हे लकी ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाड़मेर के माध्यम से मैसर्स एलाना सन्स प्राईवेट लिमिटेड कांडला पोर्ट को विक्रय कर भिजवाये जा रहे थे, जिसे शक के आधार पर गुड़ामालानी पुलिस द्वारा सीज किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

इसके पश्चात दिनांक 14.09.15 को प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर द्वारा अप्रार्थी की फर्म मैसर्स माजीसा इण्डस्ट्रीज रिको इण्डस्ट्रीज एरिया बाड़मेर पहुंचकर गोदाम को चैक किया तो गोदाम मे 50 किलो वजनी 210 कट्टे पाये गये। अप्रार्थीनी द्वारा वक्त चैकिंग उक्त 210 कट्टों बाबत सम्पूर्ण दस्तावेजात जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे ।

4. अप्रार्थीनी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि उक्त गोदाम से बारमद किया गया गेंहू उचित मूल्य का होने का प्रार्थी का अभिकथन नितान्त ही गलत है, क्योंकि मौके पर जांच अधिकारी के समक्ष गेंहू खरीद के दस्तावेज प्रस्तुत कर अवगत कराया गया, परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा इस पर कोई ध्यान नही दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा एफसीआई हनुमानगढ़ द्वारा नीलाम किये गये गेंहूं के बिलों एवं मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज पोकरण द्वारा जारी बिलों की प्रतियां जांच अधिकारियों को प्रस्तुत कर दी थी तथा फोटो प्रतियां जवाब के संलग्न प्रस्तुत की गई है। यह भी कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बाडमेर द्वारा भी अपनी जांच मे यह पाया है कि बरामद किया गया गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने वाला गेंहू नही है। उक्त रिपोर्ट मे इस बात का भी खुलासा किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली निलामी के द्वारा भी गेंहू का विक्रय किया जाता है। जांच रिपोर्ट मे जिला रसद अधिकारी ने माना है कि सीआर नम्बर 175/15 पुलिस थाना गुड़ामालानी के प्रकरण मे आवश्यक वस्तु अधिनियम का कोई प्रकरण नही बनता है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा की गई जांच से प्रवर्तन अधिकारी स्वंय विबंधित है तथा परिवादी प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई प्रकरण नही बनता है। अतः वादग्रस्त गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चयनित परिवारों को वितरण करने वाला गेंहू नही है तथा पुलिस ने भी अनुसंधान मे

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ऐसे किसी भी डीलर को उक्त प्रकरण मे शामिल नही किया है, ऐसी स्थिति मे धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

5. हमने दोनो पक्षों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे यह पाया है कि दिनांक 12.09.2015 को पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि पुलिस चैक पोस्ट गांधव पर बाड़मेर से गुजरात की तरफ जाते टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 एवं टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 को रूकवाकर चैक किया तो इनमे भारतीय खाद्य निगम मार्क अंकित राशन के गेंहू के कट्टे भरे होने पाये गये है। इन दोनो टर्बो ट्रकों मे भारी मात्रा मे भारतीय खाद्य निगम का मार्का लगे हुए राशन का गेंहू परिवहन करने बाबत वाहन चालाकों को वैध बिल, बिल्टी, लाईसेंस व परमिट के बारे मे पूछने पर नही होना बताया। इस पर उक्त टर्बो ट्रक चालकों द्वारा संज्ञेय अपराध करने के उद्देश्य से परिवहन करना प्रतीत होने से दोनो ट्रकों को पुलिस थाना गुड़ामालानी मे खड़ा किया गया है। उक्त सूचना के आधार पर जांच मे दोना ट्रकों के वाहन चालकों द्वारा उक्त वाहनों मे गेंहू बाड़मेर स्थित श्री पुखराज पुत्र अचलदास माहेश्वरी के बाड़मेर स्थित गोदाम से भरना बताया। पुलिस थाना गुड़ामालानी से प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा श्री खेमाराम, प्रवर्तन निरीक्षक के साथ जांच हेतु दिनांक 14.09.2015 को मैसर्स माजीसा इण्डस्ट्रीज रीको इण्डस्ट्रीज एरिया बाड़मेर मौके पर पहुंच कर जांच की गई। फर्म का निरीक्षण करने पर फर्म के गोदाम मे जूटबारदाना भारतीय खाद्य निगम मार्का के प्रत्येक अनुमानित 50 किलोग्राम वजनी के कुल 210 गेंहू के कट्टे होना पाया। मौके पर उपस्थित फर्म ऑपरेटर श्री सोहनसिंह से उक्त एफसीआई मार्का के गेंहू के कट्टों के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया

न्यायालय जिला कलेक्टर राजस्थान सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तथा उक्त गेंहू के कट्टों का वैध दस्तावेज वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत नही करना पाया। मौके पर फर्म मालिक तथा मैनेजर उक्त गेंहू के कट्टों के सम्बन्ध मे पूछताछ बाबत उपस्थित नही हुए। मौके पर फर्म के गोदाम मे एफसीआई मार्का के कुल 210 कट्टे जूटबारदाना के सम्बन्ध मे वैध दस्तावेज वास्ते जांच प्रस्तुत नही करना, उक्त गेंहू के कट्टों के अवैध भण्डारण करना तथा उक्त गेंहू का कालाबाजारी की सम्भावना को शुन्य करने हेतु राजहित मे कब्जे राज किया गया।

6. अप्रार्थी के अधिवक्ता का अभिकथन है कि प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने वाला गेंहू नही है बल्कि एफसीआई हनुमानगढ़ द्वारा खुली निलामी के तहत मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज पोकरण को विक्रय किया गया गेंहू था, जिसे अप्रार्थीनी की फर्म मैसर्स माजीसा इण्डस्ट्रीज बाड़मेर द्वारा क्रय किया गया। वक्त निरीक्षकण अप्रार्थीनी की फर्म के गोदाम मे भण्डारित किये गये गेंहू के क्रय दस्तावेज जांच अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये थे। इसके विपरित प्रार्थी ने तथ्य प्रकट किया है कि मौके पर फर्म के ऑपरेटर सोहनसिंह उपस्थित था जिससे उक्त भण्डारित गेंहू के बारे मे दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पूछताछ मे दस्तावेज प्रस्तुत नही किये तथा नही फर्म के मालिक या उसके कोई प्रतिनिधि जांच हेतु उपस्थित हुए है। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी का यह अभिकथन मानने योग्य नही हैं क्योंकि यदि मौके पर ही बिल दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाते तो जांच अधिकारी को संतुष्टि होने पर उक्त जब्ती की कार्यवाही की आवश्यकता ही नही रहती क्योंकि एफ सी आई का मार्का वाला गेंहू जरिये खुली निलामी के द्वारा आगे से आगे विक्रय किया गया है तो फिर मौके पर बिल दस्तावेज अप्रार्थी के गोदाम मे सम्पूर्ण स्टॉक विवरणी सहित उपलब्ध रहने चाहिए। इस प्रकार खुले बाजार मे विधिवत रूप से गेंहू क्रय किया गया है तो फिर भण्डारण के समय दस्तावेज गोदाम/फर्म मे

जिला कलक्टर (राजस्थान) बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नही रखने एवं वक्त जांच उपलबध नही कराने का अप्रार्थी की ओर से कोई संतुष्टिपरक जवाब/तथ्य प्रकट नही किया गया है। इसके अलावा इसी प्रकरण से सम्बद्ध पुलिस थाना गुड़ामालानी मे दर्ज आपराधिक प्रकरण धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम मे अनुसंधान पश्चात अंतिम परिणाम एवं सक्षम न्यायालय के आदेश से सम्बन्धित कोई दस्तावेज भी अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है। जहां तक जिला रसद अधिकारी बाड़मेर की जांच रिपोर्ट का प्रश्न है तो वह दौराने अनुसंधान अंतरीम जांच रिपोर्ट पुलिस थाना गुड़ामालानी को प्रस्तुत की गई थी तथा केवल इस रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत नही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का प्रमाण भार अप्रार्थीनी पर ही है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, की धारा 3 के अन्तर्गत बने किसी भी नियम/अधिनियम की उनके द्वारा अवहेलना नही की है। अप्रार्थीनी साबित रूप से इस तथ्य को प्रमाणित करने मे सफल नही हुई है कि बरामद शुदा गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने वाला नही है। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर उक्त जब्तशुदा गेंहू कालाबाजारी के उद्देश्य से, अवैध रूप से बिना बिल दस्तावेजात के भण्डारित किया गया था, जिसे प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सीज किया गया है। लिहाजा अप्रार्थीनी की फर्म मैसर्स माजिसा इण्डस्ट्रीज बाड़मेर के गोदाम मे एफसीआई मार्का का गेंहू कालाबाजारी किये जाने के उद्देश्य से अवैध भण्डारण करने का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उल्लंघनकारी होने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 6 (ए) के अन्तर्गत अधिग्रहित खाद्यान्न गेंहू को राजसात करना उचित है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप हस्तगत प्रकरण मे बरामद खाद्यान्न गेंहू के कुल 210 कट्टे प्रत्येक कट्टा अनुमानित वनज 50 किलोग्राम, गेंहू मय जूटबारदाना वजन

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

105.20 किलोग्राम को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.09.15 की पालना मे जब्त किये गये गेंहू के अंतरीम निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त अमानत राशि अब नियमानुसार राज्य कोष मे निर्धारित मद मे जमा कराई जावें।

आदेश आज दिनांक 05.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner